भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 98

जिसका उत्तर 04 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है।

.....

नमामि गंगे कार्यक्रम

98. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2018-19 में नमामि गंगे कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने के बाद से सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और इन निधियों के उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत परियोजनाओं का, उनकी लागत आबंटन का और पूरी हो चुकी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास नदी में छोड़े जाने वाले अशोधित मल-जल और औद्योगिक बहिस्त्रावों की मात्रा के बारे में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गंगा में अशोधित मल-जल और औद्योगिक बहिस्त्रावों के निरंतर प्रवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए शुरू किया गया था। बाद में इस कार्यक्रम को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को वित्तीय वर्ष 2014-15 से 31 अक्टूबर 2023 तक कुल 16,011.65 करोड़ रुपये जारी किए गए। एनएमसीजी ने इस कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उक्त अवधि के दौरान विभिन्न एजेंसियों को 15,015.26 करोड़ रुपये रुपये जारी/वितरित किए हैं। वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	**भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि (रुपए करोड़ में)**	**एनएमसीजी द्वारा वितरण/जारी राशि (रुपए करोड़ में)**
2014-15	326.00	170.99
2015-16	1,632.00	602.29
2016-17	1,675.00	1,057.87
2017-18	1,423.12	1,579.81

2018-19	2,307.50	2,589.74
2019-20	1,553.40	2,297.11
2020-21	1,300.00	1,339.97
2021-22	1,892.70	1,881.76
2022-23	2,220.00	2,215.85
2023-24*	1,681.93	1,279.87
कुल	**16,011.65**	**15,015.26**

(*31 अक्टूबर, 2023 तक)

(ख): स्वीकृत परियोजनाओं, उनके लागत आवंटन और पूरा किए गए परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

(ग) और (घ): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 5 गंगा मुख्य राज्यों (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल) में 110 गंगा तटीय शहरों से 3558 एमएलडी सीवेज उत्पादन का अनुमान लगाया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत किए गए उपायों से, वर्तमान में गंगा नदी के मुख्य प्रवाह के किनारे स्थित शहरों की कुल उपचार क्षमता बढ़कर 2589 एमएलडी हो गई है। इसके अलावा, लगभग 910 एमएलडी सीवेज का उपचार पूर्वी कोलकाता वेटलैंड के माध्यम से किया जाता है। उपरोक्त के अलावा, गंगा नदी के मुख्य तट के किनारे स्थित शहरों में 1104 एमएलडी एसटीपी क्षमता विकसित करने की परियोजनाएं शुरू की गई हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

जैसा कि सीपीसीबी द्वारा सूचित किया गया है, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, दिसंबर 2021-अप्रैल 2022 के दौरान, सात राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा में 2706 सकल प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई), जिनका गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में प्रवाहित होना संभावित हैं, का निरीक्षण किया गया। यह अनुमान लगाया गया कि ये जीपीआई प्रति दिन लगभग 411.25 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें बीओडी के संदर्भ में प्रति दिन 27.71 टन का प्रदूषण भार होता है।

(ङ.): गंगा नदी के लिए सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन सहित प्रदूषण उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयां इस प्रकार हैं:-

- नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प के लिए अपशिष्ट जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नदी तट प्रबंधन (घाट और श्मशान विकास), ई-प्रवाह, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और सार्वजनिक भागीदारी

आदि जैसे उपायों का एक व्यापक सेट स्थापित किया गया है। अभी तक, 38,022.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कुल 450 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें से 270 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और प्रचालनशील हैं। अधिकांश परियोजनाएं सीवेज बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित हैं क्योंकि अनुपचारित घरेलू/औद्योगिक अपशिष्ट जल नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण है। 6,173.12 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) क्षमता के निर्माण और पुनर्वास और लगभग 5,253.64 किमी सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए 31,344.13 करोड़ रुपए की लागत से 195 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से, 109 सीवरेज परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2664.05 एमएलडी एसटीपी क्षमता का निर्माण और पुनर्वास हुआ और 4465.54 किमी सीवरेज नेटवर्क बिछाया गया।

- नदी के पानी की गुणवत्ता, सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी), सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र (सीईटीपी) आदि के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी के लिए 20 अप्रैल 2023 को यमुना, गंगा और उनकी सहायक नदियों के वास्तविक समय विश्लेषण के लिए गंगा और यमुना नदी पर प्रयाग-प्लेटफ़ॉर्म, एक ऑनलाइन डैशबोर्ड स्थापित किया गया था।
- प्रदूषणकारी उद्योगों पर नियामक ढांचे को लागू करने के लिए सकल प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की अनुपालन स्थिति का आकलन करने के लिए उद्योगों और प्रदूषण स्रोतों की कड़ी निगरानी और विनियमन किया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के मुख्य प्रवाह में प्रवाहित करने वाले ऐसे जीपीआई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है, जो निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं।

- नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत वर्ष 2017 से गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के मुख्य प्रवाह में प्रचालनशील सकल प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। तकनीकी संस्थानों और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) की संयुक्त टीम द्वारा वर्ष 2017 में 1109 जीपीआई, 2018 में 961 जीपीआई, 2019 में 1072 जीपीआई, 2020 में 2740 जीपीआई, 2021 में 2706 जीपीआई और 2022 में 3186 जीपीआई का निरीक्षण किया गया।

- विभिन्न प्रकार की औद्योगिक श्रेणियों के लिए उद्योग विशिष्ट निर्वहन मानकों को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है। उद्योगों को अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) के माध्यम से अपशिष्ट का पर्याप्त उपचार प्रदान करना आवश्यक है ताकि अधिसूचित अपशिष्ट निर्वहन मानकों को पूरा किया जा सके। एनएमसीजी द्वारा डिस्चार्ज मानकों का पालन नहीं करने वाले सीईटीपी/ईटीपी

के लिए दोषी उद्योगों को कारण बताओ नोटिस और बंद करने के निर्देश सहित उचित निर्देश जारी किए जाते हैं।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने तकनीकी उन्नयन, अपशिष्ट न्यूनीकरण कार्यों, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (ईटीपी) का संवर्द्धन और उपचारित अपशिष्टों का पुन: उपयोग/पुनर्चक्रण पर जोर देते हुए गंगा नदी की मुख्य धाराओं वाले राज्यों में पल्प और पेपर, चीनी, डिस्टिलरी, कपड़ा और टेनरी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में जल पुनर्चक्रण और प्रदूषण की रोकथाम के लिए उद्योगों की सुविधा के लिए चार्टर आधारित भागीदारी दृष्टिकोण तैयार किया है, जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट ताजे पानी की खपत, अपशिष्ट जल निर्वहन और प्रदूषण भार में कमी आई और अनुपालन में सुधार हुआ।

- वर्ष 2018 में एनजीटी के निर्देश पर, 351 प्रदूषित नदी खंडों के संबंध में, राज्य सरकारों ने चिन्हित प्रदूषित नदी खंडों के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए नदी कायाकल्प समितियों का गठन किया है। इन्हें राज्यों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी नियमित रूप से राज्य स्तर पर मुख्य सचिवों द्वारा की जाती है और सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में केंद्रीय निगरानी समिति द्वारा मासिक/द्विमासिक आधार पर की जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 2022 में 2019 और 2021 के आंकड़ों के आधार पर 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 279 नदियों में 311 प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) की पहचान की है।

- इसके अलावा, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में मिलने वाले प्रमुख नालों की गुणवत्ता और मात्रा की पहचान और मूल्यांकन, गंगा की मुख्य धारा और उसकी सहायक नदियों पर स्थित शहरों के लिए अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों की स्थापना/उन्नयन, उन अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों को कार्य-निष्पादकता का मूल्यांकन किया जाता है।

- सीवेज और उद्योगों के प्रदूषण के उचित प्रबंधन के लिए सीपीसीबी द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) भी गंगा और उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों की निगरानी में लगा हुआ है और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों के अनुपालन और कामकाज के संबंध में उचित निर्देश जारी किए जाते हैं।

अनुलग्नक-I

"नमामि गंगे कार्यक्रम" के संबंध में दिनांक 04.12.2023 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले अतारंकित प्रश्न सं 98 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

स्वीकृत परियोजनाओं, उनकी लागत आवंटन और पूर्ण परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	परियोजना का प्रकार		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	कुल स्वीकृत लागत (रुपए करोड़ में)	पूर्ण परियोजनाओं की सं.
1	सीवरेज परियोजनाएं	उत्तराखंड	41	1,581.59	36
		उतार प्रदेश	69	14,097.18	37
		बिहार	37	6,160.15	13
		झारखंड	5	1,310.30	2
		पश्चिम बंगाल	27	4,742.02	11
		हरियाणा	2	217.87	2
		दिल्ली	9	1951.03	7
		हिमाचल प्रदेश	1	11.57	1
		राजस्थान	1	258.48	0
		मध्य प्रदेश	2	603.94	0
		मॉड्यूलर एसटीपी विकेंद्रीकृत	1	410.00	0
		कुल	195	31,344.13	109
2	प्रवेश स्तर की गतिविधियाँ		104	1733.88	79
3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन		12	295.26	9
4	संस्थागत विकास (गैर-बुनियादी ढांचा)		29	1764.30	9
5	परियोजना कार्यान्वयन सहायता/अनुसंधान एवं अध्ययन परियोजनाएं/जनसंपर्क और सार्वजनिक पहुंच		37	260.29	12
6	जैव विविधता		14	238.93	8
7	वनीकरण		37	525.18	32
8	समग्र पारिस्थितिक कार्य बल और गंगा मित्र		6	200.18	5
9	जैविक उपचार		15	238.96	7
10	गंगा नदी के निकट ग्राम पंचायतों में आईएचएचएल का निर्माण		1	1421.26	0
	कुल योग		**450**	**38022.37**	**270**

*****